उत्तर पश्चिम रेलवे

प्रधान कार्यालय,
रे.सु.ब., उपरे-जयपुर।

सं. 2025/उपरे/अप-गुड वर्क/51ए दिनांक 10.02.2025

महानिरीक्षक/मुख्यालय,
रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली।

विषय Sharing the information on police website about good work done by RPF personnel.

संदर्भ Rly. Board's letter No.2020/Sec(Int.)/51/6/3 dated 15.09.2020

****

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र की अनुपालना में माह जनवरी-2025 की मासिक रिपोर्ट निर्धारित प्रारूपानुसार निम्न है:-

Sl No	Brief of Good Work	Photograph
01.	<u>**ऑपरेशन अमानत**</u>:- दिनांक 03.01.2025 को सउनि रामकिशोर को मण्डल सुरक्षा नियत्रण कक्ष बीकानेर से सूचना मिली कि सवारी गाडी सख्या 14728 के स्लीपर कोच संख्या एस/4 की सीट नं.-15 पर एक यात्री का काले रंग का पिट्ठू बैग छूट गया है। उक्त सूचना पर सउनि द्वारा गाड़ी के सादुलपुर स्टेशन आगमन पर बताये गये कोच को अटेण्ड करने पर यात्री का बैग मिल गया, जिसको लाकर सादुलपुर पोस्ट पर लाकर रखवाया तथा यात्री को सूचित किया गया। रेसुब पोस्ट सादुलपुर पर उपस्थित होकर एक व्यक्ति नाम व पता खड़क सिंह पुत्र श्री माल सिंह, उम्र 24 वर्ष, निवासी-पातलीसर बड़ा, तहसील चुरू, जिला-चुरू ने बताया कि लोहारू स्टेशन पर उतरते समय भूलवश उसका बैग गाड़ी में छूट गया था। यात्री के समक्ष खोलकर बैग को चैक करने पर उसमें 01 कैमरा(सोनी) कीमत 1,50,000 रूपये, मोबाईल फोन(रेडमी) कीमत 30,000 रूपये, कैमरे का चार्जर कीमत 3500 रूपये, एक मोबाईल का चार्जर कीमत 1500 रूपये, एक कैमरे का लेन्स कीमत 3000 रूपये, कपड़े एवं कोसमेटिक्स सामान कीमत लगभग 5000 रूपये कुल कीमत 1,93,000 (एक लाख तिरानवे हजार रूपये) मिले, जिसको सही सलामत यात्री को सुपुर्द किया गया।	
02.	<u>**ऑपरेशन सतर्क**</u>:- दिनांक 06.01.2025 को रे.सु.ब. अपराध रोकथाम टीम/जोधपुर के निरीक्षक नवीन कुमार राही, सउनि॰ राजू सिंह, हैड कांस्टेबल मनोज कुमार द्वारा जोधपुर रेलवे स्टेशन पर चैकिंग के दौरान गाड़ी सं. 22483 गाँधी धाम एक्स्प्रेस के इंजन की तरफ के सामान्य कोच में सीट के नीचे एक बड़ा काले रंग का बैग, जिसमें अंग्रेजी शराब की 24 बोतल के साथ एक व्यक्ति गोपालसिंह पुत्र श्री गोवर्धन सिंह, उम्र 29 वर्ष, जाति-राजपूत, निवासी-मकान नं. 05, वार्ड नं. 10, गांव-लकमाखेडी, तहसील-जावरा, पुलिस थाना बडावदा, जिला-रतलाम (मध्यप्रदेश) को पकडा। पकड़े गये व्यक्ति ने उक्त शराब को गुजरात ले जाना स्वीकार किया। बाद पकड़ी गई शराब 750 एमएल सिंगनेचर की 12-बोतल एवं 750 एम एल मैजिक मूमेंट की 12-बोतल कुल कीमत 22,000 रूपये की अंग्रेजी शराब को मय आरोपी अग्रिम कार्यवाही हेतु जीआरपी/जोधपुर को सुपुर्द किया, जिस पर जीआरपी थाना, जोधपुर द्वारा प्रकरण सख्या 04/2025 अन्तर्गत धारा 19/54 आबकारी अधिनियम दिनाक 06.01.2025 दर्ज किया गया।	

लगातार...

03. **<u>ऑपरेशन अमानत</u>:-** दिनांक 09.01.2025 को प्लेटफॉर्म डयुटी पर तैनात हैड कॉ पदम सिह व कॉ. सोमवीर को एक काले रंग का पिट्ठू बैग लावारिस हालत में बैंच पर रखा हुआ दिखाई दिया, जिसके बारे तें आस-पास खड़े यात्रियों से पूछताछ करने पर किसी भी यात्री ने अपना बैग होना नहीं बताया। बाद सवारी गाडी सं 12462 वन्दे भारत एक्सप्रेस के कोच संख्या सी-4, 5 में ऑन डयूटी चैकिग स्टाफ ने उक्त बैग के सम्बन्ध में सम्पर्क किया गया। बाद एक व्यक्ति नाम व पता पानील टॉक पुत्र श्री राजेश टॉक, निवासी डी/362, रीको कोलोनी आबूरोड, जिला-सिरोही(राज) ने रे.सु.ब. पोस्ट आबूरोड़ पर उपस्थित होकर बताया कि उक्त बैग जैमिनी टॉक पुत्र श्री दिलीप टॉक का है, जो कि रिश्ते में मेरी बुआजी का लड़का है, भूलवश आबूरोड रेलवे स्टेशन पर छूट गया है। उक्त बैग को पानील टॉक के समक्ष खोलकर चैक करने पर बैग के अन्दर नकद राशि 24,500 रूपये, एक सिल्वर रंग डेल कम्पनी का लेपटॉप, एप्पल कम्पनी का आई पेड, सोनी कम्पनी का हेड फोन एवं विदेशी मुद्रा 150 डॉलर तथा एक पर्स जिसमें 03 एसबीआई एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड आदि व अन्य घरेलू सामान मिला। यात्री द्वारा अपने सामान की कुल कीमत 04 लाख 91 हजार रूपये होना बताया। उचित तस्दीक बाद यात्री का सामान उसके रिश्तेदार पानील टॉक को सही सलामत सुपुर्द किया गया।

04. **<u>ऑपरेशन अमानत</u>:-** दिनांक 09.01.2025 को रे.सु.ब. पोस्ट रींगस पर समय करीबन 08:00 बजे नीदड़ बैनाड रेलवे स्टेशन मास्टर से सूचना प्राप्त हुई कि गाडी स. 09733 के पीछे के सामान्य कोच में एक ब्लैक कलर का बैग, जिस पर एफ-04 लिखा हुआ है, एक यात्री का भूलवश छूट गया है। उक्त सूचना पर गाडी के रींगस स्टेशन के प्लेटफार्म नम्बर-02 पर आगमन पर ऑन ड्यूटी रे.सु.ब. कांस्टेबल शीशराम द्वारा उक्त गाडी के बताये गये सामान्य कोच को अटैण्ड करने पर यात्री का बैग मिल गया, जिसको उतारकर रे.सु.ब. पोस्ट रींगस पर रखवाया तथा बैग मिलने की सूचना यात्री को दी गई। बाद एक व्यक्ति नाम कुमेर सिंह के रे.सु.ब. पोस्ट रींगस पर उपिस्थत होने पर यात्री का बैग, जिसमें 02 सोने के मंगल सूत्र, 02 नग सोने के कान के झुमके, 03 नग चांदी की रिंग तथा पहनने के पुराने कपडे को रूबरू गवाहान सही सलामत सुपुर्द किया गया। यात्री द्वारा अपने सामान की कुल कीमत 2 लाख 12 हजार रूपये बताई गई।

05. **<u>ऑपरेशन जीवन रक्षा</u>:-** दिनांक 16.01.2025 को मिशन जीवन रक्षा के तहत सवारी गाडी संख्या 12956 (मुम्बई सैन्ट्रल सुपरफास्ट) के दुर्गापुरा स्टेशन के प्लेटफार्म नं. 01 से निर्धारित ठहराव बाद रवाना होते ही इंजन के पास वाले सामान्य कोच में चढ़ते समय एक महिला यात्री का संतुलन बिगड़ जाने के कारण प्लेटफार्म पर गाड़ी के साथ घिसटने लगी, जिसको मौके पर ऑन ड्यूटी रे.सु.ब. महिला कॉन्सटेबल मंजू देवी ने तत्परता का परिचय देते हुए एक अन्य यात्री की मदद से प्लेटफार्म पर खींचकर गाड़ी के नीचे जाने से बचाया। उक्त महिला यात्री ने अपना नाम सुशिला देवी पत्नि श्री सतीश कुमार विजय, उम्र 50 वर्ष, निवासी प्लॉट नं. 4/ए शान्ति नगर, गुर्जर की थडी सांगानेर रोड के पास जयपुर(राज.) बताया। महिला यात्री ने बताया कि वह दुर्गापुरा से कोटा जाने के लिए गाडी के आगे वाले कोच में चढने लगी, भीड़ अधिक होने के कारण चलती गाडी में सवार होने के प्रयास के दौरान वह गिर गई, तभी वर्दीधारी महिला स्टाफ ने दौड़कर सुरक्षित प्लेटफार्म पर खींचकर उसकी जान बचाई।

सूचनार्थ प्रेषित है।

Digitally Signed by ज्योति कुमार सतीजा / JYOTI KUMAR SATIJA)
Date: 10-02-2025 12:57:18
Reason: Approved

(ज्योति कुमार सतीजा)
महानिरीक्षक सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त,
रे.सु.ब./उपरे-जयपुर।